आदेश

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के आदेश संख्या-37-3/Legal/AICTE/2009 दिनांक-01.07.2009 एवं रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम-2009 के अनुपालन में संस्था पर रैगिंग की घटना के रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरी अध्यक्षता में **Anti Ragging Committee** का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0 सं0	समिति में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पदनाम	
1	2	3
1	श्री महेन्द्र प्रसाद, विभागाध्यक्ष-यांत्रिक अभि0	सदस्य
2	श्री विपिन यादव, व्याख्याता-इलेक्ट्रिानिक्स	सदस्य
3	श्री अशोक कुमार कनौजिया, व्याख्याता-रसायन	सदस्य
4	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी, प्रवक्ता-यांत्रिक अभि0	सदस्य
5	श्रीमती ऋचा मौर्या, प्रवक्ता-यांत्रिक अभि0	सदस्य

समिति में नामित उपरोक्त सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वह विशेष सक्रियता बरतते हुए संस्था के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, यथा-प्रथम वर्ष की कक्षाओं, कैंटीन, छात्रावास भवन के कोरिडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लाकों, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, कर्मशाला आदि स्थानों पर निरंतर निगरानी रखेंगे, जिससे रैगिंग सम्बंधी घटनाओं की समाप्ति हो सके। सभी सदस्य समय-समय पर गश्ती कार्यों को बनाये रखते हुए प्रत्येक समय मोबाइल आदि माध्यमों से सतर्क व सक्रिय बने रहेंगे। कैम्पस व अन्य स्थानों पर आकस्मिक छापेमारी करते हुए रैगिंग सम्बंधी घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे तथा सशक्त रहकर घटना की मौके पर जाकर जांच कर निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पस के अन्दर अथवा बाहर रैगिंग न होने पाये। इस महत्वपूर्ण कार्य में बरती गयी शिथिलता/लापरवाही को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।

23.01.24

(मलिक मो0 सलीम)
प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक,
छबिलहाखोर, सदर-बस्ती।

राजकीय पालीटेक्निक छबिलहाखोर सदर–बस्ती

कार्यालय, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, छबिलहाखोर सदर-बस्ती।

पत्रांकः 992-96 /ऐंटी रैगिंग कमेटी/2023-24 दिनांकः 23 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि :- नामित सदस्यों को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

23.01.24

प्रधानाचार्य,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक –छबिलहाखोर
सदर–बस्ती

AKS_Steno//Letters_II